तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	कन्टैम्प्ट/टी.ए./3115/2005/नागौर **डूंगर सिंह बनाम मु.मांगुडी बेबा जगमाल व अन्य**	
	खण्ड–पीठ **श्री मुकेश कुमार शर्मा अध्यक्ष** **श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री के.के.पुरोहित अभिभाषक प्रार्थी श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थीगण **आदेश दिनांक 24.01.19** उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अवमाना प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने तर्क प्रस्तुत किया कि मण्डल के समक्ष अप्रार्थी ने एक अपील जगमाल बनाम मांगू सिंह प्रस्तुत कर रखी है जिसमें दिनांक 24–2–04को स्थगन आदेंश प्रदान करते हुये भूमि की वर्तमान स्थिति को यथावत कायम रखने के आदेश प्रदान किया गया था एवं उक्त आदेश दिनांक 25–2–04 को अग्रिम आदशे तक पुख्ता करने का आदेश प्रदान किया गया था। वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चला आ रहा है। न्यायालय के स्थगन आदेश के बाबजूद अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/5 नाजायज रूप से आराजी खसरा नम्बर 86 रकबा 23बीघा 1 विस्वा के दक्षिणी भाग पर अप्रार्थी संख्या 2 के इशारे एवं संरक्षण पर गैर कानूनी रूप से निर्माण कार्य कर रहे हैं। जिनका कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है। उनका उक्त कृत्य अवमानना की श्रेणी में आता है। इसलिये अवमानना के कारण दण्डित किया जावे ताकि न्यायालय के आदेशों की गरिमा बनी रह सके। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे कि प्रार्थी के कथन की पुष्टि हो सके। इसलिये अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने पर यह स्थिति स्पष्ट होती	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **कन्टैम्प्ट/टी.ए./3115/2005/नागौर** **डूंगर सिंह बनाम मु.मांगुडी बेबा जगमाल व अन्य**	
	है कि मण्डल के समक्ष अपील अप्रार्थी जगमाल के कायम मुकामान की ओर से प्रस्तुत की गई है जो आज दिनांक को स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अवमानना प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवां)** **(मुकेश कुमार शर्मा)** **सदस्य** **अध्यक्ष**	